न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 11/2021
जीसीएमएस नं. :: 2021/15

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		1. महेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल, निवासी 17, मोती चौक, नत्थुजी की गली पाली मालिक मैसर्स सत्यनारायण स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 28-7-21

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपनी टीम के साथ दिनांक 2910.2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स सत्यनारायण स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार पाली वक्त निरीक्षण को मौके पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) 2 इण्डेन कम्पनी व 1 एचपी कम्पनी के पाये गये। जिनमें से 2 खाली व 1 आंशिक रूप से भरा हुआ पाया गया। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण किये जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक पाली ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 29.10.2020 को शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत भ्रमण के दौरान मन प्रवर्तन अधिकारी पाली सुमन तिवारी हमराह श्री जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन निरीक्षक तथा श्री नरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक की संयुक्त टीम के साथ महेन्द्र कुमार पुत्र सत्यनारायण अग्रवाल, जाति–अग्रवाल, निवासी 17, मौती चौक, नत्थुजी की गली पाली मालिक मै. सत्यनारायण स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार, पाली के जांच हेतु पहुंचे। मौके पर उपस्थित मौतबिरान श्री मुकेश कुमार पुत्र चिरंजीलाल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी किशनगढ (अजमेर) हाल ए.एस.आई. पुलिस थाना कोतवाली पाली तथा एस.पी. गहलोत पुत्र भारतसिंह जाति–माली निवासी उप प्रबन्धक सरस डेयरी, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच करने पर मौके पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक स्थल पर उपयोग करना पाया गया। मौके पर जब्त घरेलु गैस सिलेण्डर संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस पर मैसर्स गीता गैस एजेन्सी, पाली से डिजीटल कांटा मंगवाकर तौल किया गया। जिस पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (एक इण्डेन व एक एचपी) खाली पाये गये व 1 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का भरा हुआ पाया गया। तौल करने पर एक इण्डेन के घरेलु गैस सिलेण्डर में शुद्ध गैस का वजन 1.400 किग्रा व मय गैस सिलेण्डर का वजन 17.300 किग्रा पाया गया। व अन्य दो घरेलु गैस सिलेण्डर एक एचपी व एक इण्डेन के खाली पाये गये व दोनों सिलेण्डरों का वजन मय एलपीजी 15.900 किग्रा पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना कर घरेलु गैस सिलेण्ड[illegible] उनका व्यावसायिक उपयोग करना पाये जाने के फलस्वरूप मौके [illegible] गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) (2 इण्डेन व 1 एचपी) को [illegible] अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री राजेश कु[illegible]ति–मेघवाल, निवासी 6[illegible]न्द्र नगर विस्तार, पाली हाल मैनजेर मैसर्स गीता गै[illegible]जेन्सी, पाली को सुपुर्द[illegible]पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के समय मौके पर उपलब्ध मोबाईल से फोटोग्राफस लिये गये जो पत्रावली संलग्न है। निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:14 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 2

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो, को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने दिनांक 17.03.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया गया बावजूद समय दिये जाने के भी अप्रार्थी आज उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी को बार-बार आवाजें लगाये जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है व गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2020 को शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत भ्रमण के दौरान वक्त कार्यवाही अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से 3 घरेलु गैस सिलेण्डरों (2 इण्डेन व 1 एचपी) क्षमता 14.200 किग्रा का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया। जिनका मैसर्स गीता गैस एजेन्सी, पाली से डिजीटल कांटा मंगवाकर तौल किया गया। जिस पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (एक इण्डेन व एक एचपी) खाली पाये गये व 1 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का भरा हुआ पाया गया। तौल करने पर एक इण्डेन के घरेलु गैस सिलेण्डर में शुद्ध गैस का वजन 1.400 किग्रा व मय गैस सिलेण्डर का वजन 17.300 किग्रा पाया गया। व अन्य दो घरेलु गैस सिलेण्डर एक एचपी व एक इण्डेन के खाली पाये गये व दोनों सिलेण्डरों का वजन मय एलपीजी 15.900 किग्रा पाया गया। मौके पर जब्त घरेलु गैस सिलेण्डर संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा में से दो घरेलु गैस सिलेण्डर (एक एचपी व एक इण्डेन) खाली जिनका वजन मय एलपीजी 15.900 किग्रा व एक घरेलु गैस सिलेण्डर जिसमें शुद्ध गैस का वजन 1.400 किग्रा व सिलेण्डर का वजन मय एलपीजी 17.300 किग्रा उक्त तीनों गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा तीनों गैस सिलेण्डरों, के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। जो सामान उक्त परिपत्र में उल्लेखित नहीं है उसकी नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा कराई जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 28-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:14 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)